Section 10: Transfer of input tax credit

On utilisation of input tax credit of Union territory tax for payment of tax dues under the Integrated Goods and Services Tax Act in accordance with the provisions of sub-section (5) of section 49 of the Central Goods and Services Tax Act, as reflected in the valid return furnished under sub-section (1) of section 39 of the Central Goods and Services Tax Act, the amount collected as Union territory tax shall stand reduced by an amount equal to such credit so utilised and the Central Government shall transfer an amount equal to the amount so reduced from the Union territory tax account to the integrated tax account in such manner and within such time as may be prescribed.

संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

धारा 10 : इनपुट कर प्रत्यय का अंतरण

केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसार एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन शोध्य कर के संदाय के लिए संघ राज्यक्षेत्र कर के ऐसे इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग पर, जो केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन दी गई विधिमान्य विवरणी में उपदर्शित है, संघ राज्यक्षेत्र कर के रूप में संगृहीत रकम को, इस प्रकार उपयोग किए गए ऐसे प्रत्यय के बराबर रकम को घटा दिया जाएगा और केन्द्रीय सरकार ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए, संघ राज्यक्षेत्र कर खाते से इस प्रकार घटाई गई रकम के बराबर रकम का एकीकृत कर खाते में अंतरण करेगी।